



राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

क्रमांक:-एफ13/1/3/डी10/वीएस/डीईएस/2019 / 345

दिनांक:- 24.04.2026

जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु),
संयुक्त/उप निदेशक,
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,
समस्त
रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु),
नगर निगम, समस्त

विषय:-जन्म प्रमाण पत्र में नाम/मध्य नाम/सरनेम में परिवर्तन बाबत।

महोदय,

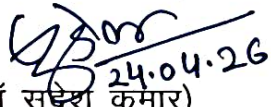
उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कतिपय जिला रजिस्ट्रार एवं संयुक्त /उप निदेशक से ऐसे प्रकरण प्राप्त हो रहे हैं जिसमें राजस्थान राज्य से बाहर के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र में अंकित मूल नाम में परिवर्तन, बच्चे के मूल नाम (प्रथम नाम) के साथ मध्य नाम में पिता/माता का नाम जुड़वाना अथवा परिवर्तन तथा सरनेम में परिवर्तन अथवा सरनेम जोड़ने के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है।

उपरोक्त क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि पूर्व में जारी जन्म प्रमाण पत्र में माता/पिता द्वारा मूल नाम (प्रथम नाम) में परिवर्तन, मूल नाम के साथ मध्य नाम में पिता या माता का नाम जुड़वाना अथवा परिवर्तन, पूर्व में अंकित सरनेम में परिवर्तन राजस्थान राज्य के निवासियों के लिए राजस्थान सरकार के राजपत्र एवं अन्य राज्य के निवासियों के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के आधार पर ही किये जा सकेंगे।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में केवल मूल नाम अंकित है और माता-पिता द्वारा उनका सरनेम अंकित किये जाने हेतु आवेदन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में बच्चे के माता/पिता के सरनेम के दस्तावेज/साक्ष्य प्राप्त कर एक साधारण शपथ पत्र (पाई पेपर पर) लेकर बच्चे के नाम में माता/पिता के सरनेम के आधार पर सरनेम जोड़े जा सकेंगे।

अतः जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 (संशोधित 2023) एवं राज्य नियम 2000 (संशोधित 2025) के प्रावधानों की पालना करते हुए इस संबंध में सभी रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को कार्यवाही के लिए निर्देशित करावें।

भवदीय,


(डॉ सुदेश कुमार)

अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
संयुक्त निदेशक (जीवनांक)